"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 376 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 अगस्त 2013—भाद्र 1, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 अगस्त 2013

अधिसूचना

क्रमांक 3-5/2007/1-7.—छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (क्रमांक 30 सन् 2002) की धारा 3 की उपधारा (5) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा न्यायमूर्ति श्री शंभू नाथ श्रीवास्तव (पूर्व न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद) को दिनांक 14-08-2013 को प्रमुख लोकायुक्त, छत्तीसगढ़ नियुक्त किया गया तथा इसके अनुक्रम में न्यायमूर्ति श्री शंभू नाथ श्रीवास्तव द्वारा छत्तीसगढ़ लोक आयोग के प्रमुख लोकायुक्त के पद का कार्यभार दिनांक 21-08-2013 को ग्रहण किया गया.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**के. आर. मिश्रा,** अपर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 21 अगस्त 2013

क्रमांक एफ 3-5/2007/1-7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21-08-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**के. आर. मिश्रा,** अपर सचिव.

Naya Raipur, the 21st August 2013

NOTIFICATION

No. F 3-5/2007/1-7.—In exercise of the powers conferred by sub section (5) of Section 3 of the Chhattisgarh Lok Ayog Adhiniyam, 2002 (No. 30 of 2002), the Governor of Chhattisgarh has been pleased to appoint Shri Justice Shambhu Nath Srivastava, (former Judge High Court of Allahabad) as Pramukh Lokayukt of Chhattisgarh Lok Ayog on 14th August, 2013 and in consequence of the above appointment Shri Justice Shambhu Nath Srivastava, has assumed the office of Pramukh Lokayukt of Chhattisgarh Lok Ayog on 21st day of August, 2013.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Additional Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.